राजेन्द्र प्रसाद बनाम राजस्थान सरकार
2024 / 24
निर्णय दिनांकः–06.04.2026

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024 / 24 दर्ज तिथिः–13.03.2024

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व. श्री मंगतूराम उम्र 49 वर्ष निवासी ग्राम थैलासर तहसील व जिला चूरू
2. भंवरी देवी पुत्री स्व. श्री मंगतूराम पत्नी रामकरण उम्र 53 वर्ष निवासी ग्राम चैलासर तहसील व जिला चूरू (राज) हाल ससुराल नारसरा तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर (राज)

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

–प्रतिवादी–

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री दीपक कुमार स्वामी
प्रतिवादीगणः– पैरोकार राज

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

निर्णय

1. आज पत्रावली अन्तर्गत धारा–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। पत्रावली का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 71 तादादी 4.3630 हैक्टेयर, कुल किता 01 कुल तादादी 4.3630 हैक्टेयर वाके रोही थैलासर, पटवार हल्का थैलासर, भू. अभि. नि. क्षेत्र रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज) में स्थित चली आ रही है, जिसके वर्तमान खाता संख्या 124 है तथा पुराने खाता संख्या 162 है, जिसमें वादी राजेन्द्र प्रसाद का 1 / 14 हिस्सा है, वादीनी संख्या 02 भंवरी देवी का 1 / 14 हिस्सा स्थित है। वादी राजेन्द्र प्रसाद का नाम जमाबंदी सम्वत् 2071 2074 में क्रम संख्या 07 पर व वादीनी भंवरी देवी का नाम क्रम संख्या 01 पर अंकित है। विरासतन इंतकाल के समय वादीगण का नाम राजूराम व इन्द्रा गलत दर्ज हो गया।
2. उपरोक्त कृषि भूमि में [illegible] प्रसाद पुत्र मंगतूराम की जगह राजूराम पुत्र मंगतूराम त्रुटीवश राजस्व रिकार्ड [illegible] या है, जबकि वादी संख्या 01 का सही व वास्तविक नाम राजेन्द्र [illegible] प्यार की वजह से वादी संख्या 01 को राजूराम पुकारा जात[illegible] नाम राजूराम अंकित [illegible]ा।
3. उपरोक्त कृषि भूमि में वादीनी संख्या 02 का[illegible]म भंवरी देवी पुत्री मंगत[illegible] जगह इन्द्रा पुत्री मंगतूराम त्रुटीयश राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया है, जबकि वादीनी संख्या 02 का सही व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:26:31 IST
Reason: SelfAttested

वास्तविक नाम भंवरी देवी है, लेकिन परिवार में स्नेह व प्यार की वजह से वादीनी संख्या 02 को इन्द्रा पुकारा जाता था। इस कारण त्रुटीवश नाम इन्द्रा अंकित हो गया।

4. राजस्व रिकार्ड में वादी संख्या 01 राजूराम का वास्तविक नाम राजेन्द्र प्रसाद है तथा वादीनी संख्या 02 इन्द्रा का वास्तविक नाम भंवरी देवी है और ये एक ही व्यक्ति / महिला के नाम है, जिनका नाम अशुद्ध हो गया है, जिसे संशोधित करवाने हेतु यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

5. राजस्व रिकार्ड में नाम में त्रुटी होने से वादीगण को काफी हैरानी परेशानी हो रही है तथा वादीगण का अन्य सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, पेनकार्ड, बैंक पासबुक आदि में नाम राजेन्द्र प्रसाद व भंवरी देवी है। नाम में त्रुटी होने की वजह से वादीगण को सरकारी व गैरसरकारी योजनाऐ लेने में काफी परेशानी हो रही है ना ही क्लेम आदि मिल पा रहा है, जिस कारण नाम दुरूस्त करवाना आवश्यक हो गया है।

6. वादीगण ने नाम संशोधन हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया, तो हल्का पटवारी ने तहसीलदार चूरू से नाम शुद्ध करवाने बाबत कहा, तो वादीगण ने तहसीलदार महोदय, चूरू से निवेदन किया पर तहसीलदार महोदय ने उक्त दावा नाम संशोधन बाबत अदालतवाला में करने का कहने पर दिनांक 01.02.2024 को वाद आधार प्राप्त हुआ तथा वादगत रकबा अदालतवाला के सुनवाई के अधिकार क्षेत्र में है।

7. उक्त नाम संशोधन से किसी भी अन्य पक्षकार को कोई क्षति होने का कोई अंदेशा नहीं है एवं न्यायहित में इसे दुरूस्त किया जा सकता है, वादीगण ने दिनांक 01.02.2024 को प्रतिवादी को नाम में संशोधन करने बाबत निवेदन किया, तो उन्होने नाम में संशोधन नहीं करने व श्रीमानजी के यहां दावा करने की कहने पर वाद कारण हासिल हुआ है। वादीगण उक्त कृषि का खातेदार काश्तकार होने से उन्हे वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है।

8. वादगत भूमि रोही थैलासर में स्थित है, जिसके सम्बंध में वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को है। जो उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वादीगण का वाद मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण नीचे लिखे अनुसार डिकी फरमाया जावें :–

(क) कृषि भूमि खसरा नम्बर 71 तादादी 4.3630 हैक्टेयर, कुल किता 01 कुल तादादी 4.3630 हैक्टेयर वाके रोही थैलासर, पटवार हल्का थैलासर, भू.अभि.नि.क्षेत्र रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज) में खातेदार राजूराम पुत्र मंगतूराम की जगह राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मंगतूराम व खातेदार इन्द्रा पुत्री मंगतूराम की जगह भंवरी देवी पुत्री मंगतूराम संशोधित किये जाने का आदेश व डिकी बहक वादीगण जारी फरमायी जावें व प्रतिवादी को यह आदेश फरमाया जावे कि डिकी अनुसार अमल दरामद राजस्व रिकार्ड कराया जावें।

(ख) अन्य अनुतोष हितकर वादीगण हो या हो जावे, वो भी वादीगण को प्रदान फरमाया जावें। श्रीमानजी की बडी कृपा होगी।

9. वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादी की तलबी की गई प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से पैरोकार राज ने उपस्थित हुए। प्रति[illegible] की ओर से जवाब पेश किया गया कि श्रीमानजी के न्यायालय में विचाराधीन [illegible]जेन्द्र [illegible]दि बनाम राजस्थान सरकार में वादी द्वारा वादगत कृषि भूमि खेत [illegible] राजूराम पुत्र मंगतूराम के स्थान पर राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मंगतूराम व इन्द्रा पुत्री [illegible]तूराम की जगह भंवरीदेवी पुत्री मंगतूराम किये जाने के संबंध में जाँच रिपोर्ट हेतु पटवारी [illegible]का थैलासर ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार राजूराम पुत्र मंगतूराम के स्थान पर राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मंगतूराम किये जाने की अभिशंषा की जाती है। इन्द्रा पुत्री मंगतूराम के स्थान भंवरी देवी पुत्री मंगतूराम किये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:26:31 IST
Reason: SelfAttested

की अभिशंषा की जाती हैं। वादी संख्या 1 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व. मंगतूराम द्वारा साक्ष्य शपथ–पत्र पेश किया गया कि

1. मैं शपथ पूर्वक बयान करता है कि हम वादीगण की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 71 तादादी 4.3630 हैक्टेयर, कुल किता 01 कुल तादादी 4.3630 हैक्टेयर वाके रोही चैलासर, पटवार हल्का थैलासर, भू. अभि. नि. क्षेत्र रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज) में स्थित चली आ रही है. जिसके वर्तमान खाता संख्या 124 है तथा पुराने खाता संख्या 162 है, जिसमें मेरा 1 / 14 हिस्सा है, वादीनी संख्या 02 भंवरी देवी का 1 / 14 हिस्सा स्थित है। मेरा नाम जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 में क्रम संख्या 07 पर व वादीनी भंवरी देवी का नाम क्रम संख्या 01 पर अंकित है। विरासतन इंतकाल के समय हम वादीगण का नाम राजूराम व इन्द्रा गलत दर्ज हो गया।
2. उपरोक्त कृषि भूमि में मेरा नाम राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मंगतूराम की जगह राजूराम पुत्र मंगतूराम त्रुटीवश राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया है, जबकि मेरा सही व वास्तविक नाम राजेन्द्र प्रसाद है, लेकिन परिवार में स्नेह व प्यार की वजह से मेरे को राजूराम पुकारा जाता था। इस कारण त्रुटीवश नाम राजूराम अंकित हो गया।
3. उपरोक्त कृषि भूमि में वादीनी संख्या 02 का नाम भंवरी देवी पुत्री मंगतूराम की जगह इन्द्रा पुत्री मंगलूराम त्रुटीवश राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया है, जबकि वादीनी संख्या 02 का सही व वास्तविक नाम भंवरी देवी है, लेकिन परिवार में स्नेह व प्यार की वजह से वादीनी संख्या 02 को इन्द्रा पुकारा जाता था। इस कारण त्रुटीवश नाम इन्द्रा अंकित हो गया।
4. राजस्व रिकार्ड में मुझ राजूराम का वास्तविक नाम राजेन्द्र प्रसाद है तथा वादीनी संख्या 02 इन्द्रा का वास्तविक नाम भंवरी देवी है और ये एक ही व्यक्ति / महिला के नाम है, हमारा नाम अशुद्ध हो गया है, राजस्व रिकार्ड में नाम में त्रुटी होने से हम वादीगण को काफी हैरानी परेशानी हो रही है तथा हम वादीगण का अन्य सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, पेनकार्ड, बैंक पासबुक आदि में नाम राजेन्द्र प्रसाद व भंवरी देवी है। नाम में त्रुटी होने की वजह से हम वादीगण को सरकारी व गैरसरकारी योजनाऐ लेने में काफी परेशानी हो रही है ना ही क्लेम आदि मिल पा रहा है, जिस कारण नाम दुरुस्त करवाना आवश्यक हो गया है।
5. कृषि भूमि खसरा संख्या 71 तादादी 4.3630 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल तादादी 4.3630 हैक्टेयर वाके रोही थैलासर, पटवार हल्का थैलासर, भूअभि. नि. क्षेत्र रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.) में खातेदार राजूराम पुत्र मंगतूराम की जगह राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मंगतूराम व खातेदार इन्द्रा पुत्री मंगतूराम की जगह भंवरी देवी पुत्री मंगतूराम संशोधित किये जाने का आदेश व डिकी बहक हम वादीगण जारी फरमाया जावें मेरे द्वारा दस्तावेजात अलग से प्रदर्शित करवाये जा रहे है।

10. आज प्रकरण निर्णय हेतु प्रस्तुत हुआ। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक अंतिम चौसाला आधार संवत [illegible]4 से स्थायी खसरा संख्या 71 तादादी 17–05 बीघा ग्राम थैलासर पटवार [illegible] में [illegible] का नाम राजूराम पुत्र मंगतूराम व इन्द्रा पुत्री मंगतूराम खातेदार [illegible] के अनुसार राजूराम पुत्र मंगतूराम व राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मंगतूराम एवं इन्द्रा पुत्री मंगतूराम व भंवरी देवी पुत्री मंगतूराम एक ही व्यक्ति होना अंकित है। नाम संशोधन किये जाने [illegible] अभिशंषा की जाती है। वादीगण द्वारा उपलब्ध दस्तावेजात आधार कार्ड, पेनकार्ड, बैंक पासबुक के अनुसार वादीगण का नाम राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मंगतूराम व भंवरी देवी पुत्री मंगतूराम दर्ज है। वादीगण द्वारा जमाबन्दी में नाम राजूराम पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:26:31 IST
Reason: SelfAttested

मंगतूराम व इन्द्रा पुत्री मंगतूराम को शुद्ध नहीं बताया गया। दावा में उक्त नाम संशोधन कर राजूराम पुत्र मंगतूराम व इन्द्रा पुत्री मंगतूराम के बजाय दस्तावेजों के अनुसार राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मंगतूराम व भंवरी देवी पुत्री मंगतूराम शुद्ध करवाना चाहा गया है। राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों में दर्ज नाम में भिन्नता होने से वादीगण को कठिनाई होना प्रत्यक्ष है। वादीगण वादगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है इसलिए उसे राजस्व रिकार्ड में अपने गलत दर्ज नाम को अपने दस्तावेजों के अनुरूप दुरूस्त करवाने का अधिकार है। वादीगण का नाम दुरूस्त किये जाने से भूमिधारी राज्य सरकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना भी परिलक्षित नहीं है। इस प्रकार वादीगण द्वारा पेश दस्तावेजों, शपथ–पत्र व तहसीलदार, चूरू से प्राप्त रिपोर्ट दावा उसके पक्ष में प्रमाणित होता है। अतः वादीगण का असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अद्यधित किया जाकर मिलान किया जाना आवश्यक है ताकि वादी अपने खातेदारी अधिकारों का पूर्ण उपयोग कर सके। अतः वादीगण के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक अन्य दस्तावेज असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः वादीगण का दावा, अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

वादिया का दावा अन्तर्गत धारा–88 राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 अंतिम चौसाला आधार संवत 2071–2074 से स्थायी खसरा संख्या 71 तादादी 17–05 बीघा ग्राम थैलासर पटवार मण्डल थैलासर तहसील व जिला चूरू, अन्य दस्तावेज व तहसीलदार, चूरू की रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं वादीगण की खातेदारी आराजी में नाम संबंधी इन्द्राज राजूराम पुत्र मंगतूराम व इन्द्रा पुत्री मंगतूराम को कलमजन कर मुताबिक अन्य दस्तावेजात क्रमशः राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मंगतूराम व भंवरी देवी पुत्री मंगतूराम का अंकन करने के आदेश तहसीलदार चूरू को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:26:31 IST
Reason: SelfAttested